चित्रकूट-पुलिस

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों 38 क्वार्टर देशी शराब बरामद की।
(i).उ0नि0 श्री राहुल सिंह थाना कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त भइयालाल यादव पुत्र चुनकाई यादव निवासी गढ़ीवा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 18 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
(ii). उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह थाना राजापुर तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त मुन्ना सिंह उर्फ हेमराज पुत्र राजकुमार सिंह निवासी बरुआ थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
(i). थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय तथा उनके हमराही आरक्षी नन्हे यादव, आरक्षी चन्द्रभूषण द्वारा मु0सं0 08/2019 धारा 147,308,323,504,506 भादवि के वारण्टी अभियुक्त कल्लू व रामप्यारे पुत्रगण सीता निवासीगण अगरहुंडा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।
(ii). चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री सत्यमपित त्रिपाठी तथा उनके हमराही आरक्षी नरेन्द्र कुमार द्वारा अ0सं0 601765/2011 धारा 147,283 भादवि0 व 07 क्रि0ला0अवे0 एक्ट के वारण्टी अभियुक्त श्रीराम पुत्र निरपत निवासी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(ii).चौकी प्रभारी सीतापुर श्री गौरव तिवारी तथा उनके हमराही आरक्षी रविशंकर द्वारा अ0सं0 787/2013 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के वारण्टी अभियुक्त अमृतलाल पुत्र लक्ष्मी प्रसाद केवट निवासी विकास नगर कपसेठी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3). आज दिनाँक 28.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस कार्यालय में नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा पुलिस कार्यालय में श्रमदान किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा स्वयं एवं कार्यालय में नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा कार्यालय परिसर की साफ-सफाई एवं अपने-अपने शाखा/कार्यालय की साफ-सफाई की गयी तथा कार्यलय परिसर में लगे पौधों की निराई-गुडाई कर पौधों एवं वृक्षों की सिंचाई की गयी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा सभी को अपने आस-पास साफ-सफाई रखने एवं स्वच्छ रहने हेतु प्रत्साहित किया गया।
इसी क्रम में प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण के नेतृत्व में पुलिस लाइन्स परिसर में अभियोजन कार्यालय, न्यायालय सुरक्षा, सदर मालखाना, लॉक-अप, परिवहन शाखा एवं पुलिस लाइन्स में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा श्रमदान कर साफ-सफाई की गयी।

(4). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 28.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।